प्रेस विज्ञप्ति

04.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने अक्षय कुमार छाबड़ा को उनके द्वारा चलाए जा रहे अवैध ड्रग तस्करी सिंडिकेट से संबंधित धन-शोधन जांच के सिलसिले में 2 अप्रैल 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत एनसीबी, चंडीगढ़ आंचलिक यूनिट द्वारा दर्ज मामले के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह पाया गया कि वह लुधियाना, पंजाब से चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का सरगना था। वह जाली/फर्जी संस्थाओं के नाम पर अफगानिस्तान से ड्रग्स आयात करने और उन्हें आगे सप्लाई करने में कामयाब रहा था। इस अवैध ड्रग व्यापार से भारी मात्रा में अपराध के आगम (पीओसी) उत्पन्न हुए जिसे अचल संपत्तियों, शराब के कारोबार में लगाया गया और विभिन्न हवाला चैनलों के माध्यम से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया।

आरोपी अक्षय कुमार छाबड़ा को जालंधर की माननीय विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। माननीय अदालत ने अक्षय कुमार छाबड़ा की 05 दिन की हिरासत ईडी को प्रदान की।

इससे पहले, 30.10.2023 को पीएमएलए के प्रावधान के तहत वर्तमान मामले में विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी।

आगे की जांच प्रगति पर है।